

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3250
(16 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डिजिटल अवसंरचना ढांचे का उन्नयन

3250. श्री दयानिधि मारन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल अवसंरचना ढांचे का उन्नयन करने तथा अंतिम छोर तक संपर्क पहुंचाने और ग्रामीण गांवों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए कोई नई योजनाओं या प्रस्तावों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अवसंरचना ढांचे का उन्नयन करने, अंतिम छोर तक संपर्क पहुंचाने और ग्रामीण गांवों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए अन्य मंत्रालयों या गैर-सरकारी संगठनों या निजी कंपनियों के साथ कोई साझेदारी करने पर विचार या समीक्षा की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2014 से इस लक्ष्य के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और क्रियाकलापों की सूची क्या है और उनके कार्यान्वयन और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): जी, हां। दूर संचार विभाग भारत नेट के माध्यम से देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ और योजनाओं में ये शामिल हैं (i) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए व्यापक दूर संचार विकास योजना (सीटीडीपी), (ii) द्वीपों के लिए

व्यापक दूर संचार विकास योजना का कार्यान्वयन, (iii) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल में संचार सेवा योजना, (iv) कवर न किए गए चिन्हित 354 सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए 354 अनकवर्ड विलेज स्कीम, (v) आकांक्षी जिलों के कवर न किए गए चिन्हित गांवों में 4 जी कवरेज के लिए आकांक्षी जिला योजना।

डिजिटल संचार अवसंरचना की प्रगति में तेजी लाने की दृष्टि से दूर संचार विभाग द्वारा 17.12.2019 को नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) शुरू किया गया। एनबीएम के कुछ उद्देश्य हैं - '2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना', पूरे देश में और विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिक और समान उपलब्धता में सहयोग करना, 30 लाख रूट कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केवल (ओएफसी) बिछाना और '2024 तक प्रति 1000 जनसंख्या के लिए टावर घनत्व को 0.42 से बढ़ाकर 1.0 करना', 'मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार करना' इत्यादि।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2014-16 से राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) कार्यान्वित किया जिसमें 53.67 लाख लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित किया गया और इनमें से 42% अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2017 में अनुमोदित प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीटीआईएसएचए) के अंतर्गत छह करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना में देश भर में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के उपयोग के बारे में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक 4.53 से अधिक अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा चुका है और लगभग 3.69 करोड़ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए अन्य प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(i) सरकार ने प्रति लिंक 2 एमबीपीएस की न्यूनतम बैंडविड्थ क्षमता के साथ वर्टिकल श्रेणीबद्ध संरचना में जिला/उप-संभागीय मुख्यालयों (डीएचक्यू) के रास्ते ब्लॉक स्तर तक सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालयों (एसएचक्यू) को जोड़ने के लिए पूरे देश में राज्य व्यापी एरिया

नेटवर्क स्थापित करने की योजना को अनुमोदित कर दिया है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उपयोग के आधार पर एसएचक्यू और डीएचक्यू के बीच 34 एमबीपीएस तक तथा डीएचक्यू और बीएचक्यू के बीच 8 एमबीपीएस तक बैंडविड्थ को बढ़ा सकता है। वर्तमान में, एसडब्ल्यूएन को 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील बनाया गया है।

(ii) स्टेट डाटा सेंटर्स (डीएससी) स्कीम के अंतर्गत एक सरकार से दूसरी सरकार (जी2जी) तक, सरकार से नागरिक तक (जी2सी) और सरकार से व्यापार (जी2बी) सेवाओं तक प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवाओं, ऐप्लिकेशनों और अवसंरचना को एकीकृत करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डाटा सेंटर्स को लक्षित किया गया है। ग्राम स्तर पर प्रारंभिक प्रदायगी दुकानों के रूप में कोर कनेक्टिविटी अवसंरचना जैसे एसडब्ल्यूएन और कॉमन सर्विसेस सेंटर्स (सीएससी) द्वारा निर्बाध रूप से समर्थित कॉमन सर्विसेस डिलिवरी प्लेटफार्म के माध्यम से राज्यों द्वारा ये सेवाएं दी जा सकती हैं। आज तक 29 एसडीसी को कार्यशील बनाया जा चुका है।

(iii) कॉमन सर्विसेस सेंटर्स (सीएससी), जो जी2सी सेवाएं उपलब्ध कराने के किओस्क हैं, सभी 2,5,000 ग्राम पंचायतों में खोले जा रहे हैं। अब तक 2.78 लाख ग्राम पंचायत स्तरीय सीएससी सहित 3.73 लाख कॉमन सर्विसेस सेंटर्स कार्यशील हैं। इन सीएससी द्वारा 300 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(iv) भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने के लिए और लाभ उठाने के लिए मेघराज नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। इससे देश में ई-सेवाओं की प्रदायगी में तेजी आएगी। मेघराज के अंतर्गत भारत सरकार ने एनआईसी नेशनल क्लाउड पहले ही स्थापित कर दिया है जो फरवरी, 2014 से सरकारी विभागों को क्लाउड सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(v) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' भी शुरू किया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति जिला कम से कम एक ग्राम पंचायत (गांव) के साथ 700 ग्राम पंचायतों/गांवों को शामिल किया जाता है। उपलब्ध कराई गई डिजिटल सेवाओं में सरकार से नागरिक तक सेवाएं (जी2सी),

व्यापार से नागरिक तक (बी2सी) सेवाओं सहित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास सोलर पैनल से जलने वाली स्ट्रीट लाइट हैं।

(vi) डिजिटल लॉकर, डिजिटल कोष में दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु उपयोगकर्ता के लिए कोष और गेटवे के संग्रह के साथ इकोसिस्टम उपलब्ध कराता है। अब तक डिजिलॉकर के 5.5 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

(vii) ई-डिस्ट्रिक्ट एक मिशन आधारित परियोजना (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला अथवा उप-जिला स्तर पर निर्धारित उच्च मात्रा की नागरिक केन्द्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 705 जिलों में कुल 3,870 ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं शुरू की गई हैं।

(viii) ओपन गवर्नमेंट डाटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म भारत सरकार की ओपन डाटा पहल में सहयोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसका प्रयोजन अलग दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सरकार के कामगाज में पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी डाटा के अनेक नवीन उपयोगों के अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करना है।

(ix) ई-हॉस्पिटल के अंतर्गत ऑन-लाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) में नए मरीज ऑन-लाइन अपोइन्मेंट ले सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं, अपनी लैब रिपोर्ट देख सकते हैं, खून की उपलब्धता की स्थिति का पता लगा सकते हैं तथा पेमेंट गेटवे (पेगव) से जुड़ सकते हैं। आज तक, ओआरएस के माध्यम से 260 अस्पतालों में 36.56 लाख ऑन लाइन अपोइन्मेंट्स दिए गए हैं।

(x) ई-साइन एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से कोई भी आधार धारक आसानी, कुशलता और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर सकता है। आधार धारक (कोई भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, कॉरपोरेट एग्जिक्यूटिव्स इत्यादि) बिना किसी हार्डवेयर क्राइटोग्राफिक डिवाइस के किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है। ई-साइन सर्विस की सहायता से नागरिक कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीके से दस्तावेजों पर तत्काल ऑन लाइन हस्ताक्षर कर सकते हैं। 12.50 करोड़ से अधिक ई-साइन जारी किए जा चुके हैं।

(xi) नेशनल जियो इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एनसीओजी) परियोजना को साझा करने, सहयोग, लोकेशन आधारित विश्लेषण और निर्णय लेने में मददगार प्रणाली हेतु विभागों के लिए विकसित किया गया एक जीआईएस प्लेटफॉर्म है।

(xii) कोर प्लेटफॉर्म के साथ प्रमुख सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) विकसित किया गया है जिसे आधार, डिजीलॉकर, पेगब, रैपिड एसेस्मेंट सिस्टम (आरएएस) इत्यादि के साथ समेकित किया गया है। इस ऐप्लिकेशन में अंग्रेजी के अलावा लगभग 12 भारतीय भाषाओं में काम किया जा सकता है और इसे क्लाउड पर हॉस्ट किया गया है। उमंग का उद्देश्य नागरिकों को तकनीकी रूप से कुशल बनाना है। उमंग प्लेटफॉर्म पर 219 विभागों (केंद्रीय और राज्यों के) की लगभग 20,525 सेवाएं उपलब्ध हैं।

(xiii) माईगव्व भारत में सहभागितापूर्ण शासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक भागीदारी वाला प्लेटफॉर्म है। माईगव्व का उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सुगम बनाना, नागरिकों को सरकार के तथा सरकार को नागरिकों के करीब लाना है। वर्तमान में 1.51 करोड़ से अधिक प्रयोगकर्ता माईगव्व में पंजीकृत हैं, माईगव्व प्लेटफॉर्म पर डाले गए विभिन्न कार्यकलापों में हिस्सा ले रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राइम मिनिस्टर्स वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएनआई) फ्रेमवर्क के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्कों के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार करने की अनुमति दूरसंचार विभाग को दे दी है। पीएम-डब्ल्यूएनआई फ्रेमवर्क में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :

- (i). पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) : यह पीएम-डब्ल्यूएनआई समर्थित वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स स्थापित करेगा, उसका रखरखाव और संचालन करेगा तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और/अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंडविड्थ खरीद कर ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा।
- (ii). पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए): भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी भारतीय कंपनी पीडीओए हो सकती है। यह कंपनी पीडीओ को

ऑथराइजेशन और एकाउंटिंग जैसी एग्रीगेशन सेवाएं उपलब्ध कराएगी और अंतिम उपभोक्ता को सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

- (iii). ऐप प्रदाता: यह प्रयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने के लिए पास में उपलब्ध पीएम-डब्ल्यूएनआई समर्थित वाई-फाई हॉटस्पॉट का पता लगाने तथा उसे प्रदर्शित करने के लिए ऐप्लिकेशन विकसित करेगा और साथ ही संभावित ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं को प्राधिकृत भी करेगा।

इस तरह उपयोगकर्ताओं के अनुभव और ब्रॉडबैंड के लिए सेवा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होगा। यह सेवा उन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी रहेगी जहां भारत नेट के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। पीडीओ को बैंडविड्थ की बिक्री के फलस्वरूप दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी लाभ होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत क्लस्टर विकास के लिए शुरू किए गए इक्कीस घटकों में से डिजिटल साक्षरता एक है।
